12

10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

CF 10

न्यायालय माननीय म॰प्र॰ राजस्व मंडल, ग्वालियर केम्प सागर

R-1483-I/07

कामता प्रसाद बल्द हरलाल रैक्वार

निवासी ग्राम बांदरी तह0 खुरई जिला सागर .... आवेदक

// विरूद्ध//

वीरसिंह बल्द अमरतसिंह यादव

निवासी ग्राम बांदरी तह0 खुरई जिला सागर म॰प्र॰

....अनावेदक

पुनरीक्षण ❨ निगरानी ❩ अंतर्गत धारा 7 म॰प्र॰ वासस्थान दखलकार ❨ भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना❩ अधिनियम 1980

आवेदक/निगरानीकर्ता की यह निगरानी माननीय अपर कलेक्टर सागर के अपील प्र0क्र0 83/19 ❨ 1❩ वर्ष 2006-07 में पारित आदेश दिनांक 04.12.06 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी न्यायालयश्रीमान् कमिश्नर महोदय सागर संभाग, सागर के यहाँ प्रस्तुत की गई थी जिसमें माननीय कमिश्नर महोदय सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.07 के द्वारा सक्षम न्यायालय माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापिस किए जाने पर यह पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निम्नलिखित निवेदन है :-

|| प्रकरण के तथ्य ||

1- यह कि, आवेदक को म॰प्र॰ वासस्थान दखलकार ❨भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना ❩ अधिनियम 1980 की धारा 5 के अंतर्गत विधिवत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर भूमि मौजा बांदरी प॰ह॰नं॰ 98 बंदो॰नं॰ 30 तहसील खुरई जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 233 में वर्ष 1985-86 से पूर्व से आवेदक द्वारा मकान❨टपरा❩ बनाकर निवास रत रहने के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर ग्राम में विधिवत् इश्तहार जारी किया जाकर कोई आपत्ति प्राप्त न होने के उपरांत नायब तहसीलदार मंडल बांदरी से जाँच प्रतिवेदन मुंगाये जाने के उपरांत भूमि ख॰नं॰ 233 के रकबा में से रकबा 0.01 आरे

...2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1483–एक / 07 जिला – सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.4.16	आवेदक के अधिवक्ता एवं आवेदक कई पेशियों से अनुपस्थित है । आवेदक के अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । सदस्य	